रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252494
CG-DL-E-29022024-252494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945
No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 150(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41,109,110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) जब तक और अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद यहां मूल नियम के रूप में उल्लिखित) में, नियम 2 में, खंड (आईडी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(आईई) **"श्रेणी एल2-5"** से अभिप्रेत है, 2 पहिया-3 पहिया संयोजन मॉड्यूल के साथ कोई तीन पहिया मोटर वाहन है, जो इस तरह से निर्मित किया गया है कि श्रेणी एल 2 के दो-पहिया वाहन को गैर-स्व-चालित रियर मॉड्यूल इकाई के साथ जोड़ा गया हो। आवश्यकता पड़ने पर इसे अलग किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है;

किसी भी समय, या तो श्रेणी एल2 के दोपहिया वाहन या श्रेणी एल5 के तीन-पहिया वाहन का ही उपयोग किया जा सकता है।

(आईएफ) **"श्रेणी एल2 - 5 एम"** से अभिप्रेत है, यात्रियों को ले जाने के उद्देश्य से अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण एल 2-5 श्रेणी का कोई वाहन;

(आईजी) **"श्रेणी एल 2 - 5 एन"** से अभिप्रेत है, माल ले जाने के उद्देश्य से अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण एल 2-5 श्रेणी का कोई वाहन;

बशर्ते कि एल 2-5 श्रेणी का वाहन, यात्री वाहक के लिए एल2-5एम की श्रेणी या माल वाहक के लिए एल2-5एन श्रेणी के वाहन के अंतर्गत आ सकता है, जो चालक सहित व्यक्तियों, जिनके बैठने की व्यवस्था की जाती है, के वजन पर निर्भर करता है जो ले जा रहे माल के वजन से अधिक या कम है। यह एल5 श्रेणी के वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 14272:2011 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हो। "

3. उक्त नियम में, मूल नियमावली के नियम 50 में उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"9. एल2-5 श्रेणी के वाहनों के मामले में, दोनों विन्यासों अर्थात् एल2 श्रेणी के अलग किए गए दो-पहिया वाहन या एल5 श्रेणी के संयुक्त तीन पहिया वाहन के लिए एक एकल पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी; और किसी भी समय विन्यास के बावजूद वाहन के अगले हिस्से में एक और वाहन के पीछे एक पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाएगा। एल2-5 श्रेणी के वाहन के लिए प्लेट का आयाम 200 X 100 मिमी होगा।

4. उक्त नियम में मूल नियमावली के नियम 122 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(4) "एल 2-5" श्रेणी के वाहनों के मामले में, विनिर्माण का माह और वर्ष सहित पहचान संख्या, उभरा हुआ या उकेरा गया या छिद्रित समय-समय पर संशोधित एआईएस 177:2021 के अनुसार होगा, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

5. उक्त नियम में, नियम 125-ढ के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम 125-त को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"125-त: "एल 2-5 श्रेणी" के सभी वाहन, [1 अप्रैल 2024] को और उसके पश्चात् समय-समय पर संशोधित एआईएस 177:2021 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

[फा. सं. आरटी-11036/104/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक .... द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

G.S.R. 150(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 41, 109, 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (…… Amendment) Rules, 2024.

(2) Unless and otherwise specified, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after clause (id), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ie) **"Category L2-5"** means a three wheeled motor vehicle, with a 2 wheeler-3 wheeler combination module, constructed in such a way that a two-wheeled vehicle of category L2 is combined with a non-self-propelled rear module unit. It can be separated or combined, as and when required;

At any point of time, either a two-wheeler of Category L2 or a three-wheeled vehicle of Category L5 can only be used.

(if) **"Category L2 – 5 M"** means a category L2-5 vehicle on account of its technical features intended to carry passengers;

(ig) **"Category L2 – 5 N"** means a category L2-5 vehicle on account of its technical features intended to carry goods;

Provided that category L2-5 vehicle may fall under the category of L2-5M for Passenger carrier or L2-5N Goods Carriage, depending on the weight of persons including driver for whom seating arrangements are provided is more than or less than the weight of goods carried. This shall be as per conditions specified in IS 14272:2011, as amended from time to time for L5 category of vehicles."

3. In the said rule, in rule 50 of the principal rules, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"9. In case of L2-5 category of vehicles, a single registration number shall be allotted for both the configurations, namely separated two-wheeled vehicle of L2 category or combined three wheeled vehicles of L5 category; and at any point of time there shall be only one registration mark displayed on the front and one on the rear of the vehicle irrespective of the configuration. Dimensions for plate for L2-5 category of vehicle shall be 200 X 100 mm."

4. In the said rule, in the rule 122 of the principal rules, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

(4) In case of "L2-5" category of vehicles, the identification number including month and year of manufacture, embossed or etched or punched on it shall be in accordance with AIS 177:2021, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

5. In the said rule, after rule 125-N following new rule 125-P shall be inserted, namely: -

"125-P: On and after [1st April 2024], all "L2-5 Category" of vehicles shall conform to the requirements specified in AIS 177:2021, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards specification are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

[No. RT-11036/104/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.02.29 22:52:27 +05'30'